भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 733
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

733. श्री अनन्त नायक :

श्री राजू बिष्ट :

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर :

श्री बिप्लब कुमार देब :

श्री कृपानाथ मल्लाह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना (एफटीएससी) को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसकी प्रमुख उपलब्धियां और परिणाम क्या हैं ;

(ख) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देशभर में स्थापित किए गए एफटीएससी की कुल संख्या कितनी है तथा नियमित न्यायालयों की तुलना में इनमें बलात्कार और पॉक्सो मामलों के निपटान की दरें कितनी हैं, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली तथा ओडिशा, विशेष रूप से क्योंझर और अन्य वंचित जिले सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त राज्यों सहित देशभर में इन न्यायालयों की स्थापना और संचालन में सहायता करने वाले वित्तपोषण तंत्र का ब्यौरा क्या है तथा सरकार किस तरीके से सुनिश्चित करती है कि निर्भया कोष और अन्य निधियों का राज्यों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए ;

(घ) आवंटित की गई राशि और खर्च की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) गंभीर मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए देशभर में एफटीएससी की स्थापना और संचालन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

(च) सरकार किस प्रकार लंबित मामलों को कम करने तथा न्याय प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के प्रदर्शन की निगरानी तथा मूल्यांकन करने की योजना बना रही है ; और

(छ) फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के अस्तित्व तथा कार्यों के बारे में, विशेष रूप से कमजोर आबादी के बीच, जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही विविध पहलों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम अक्टूबर, 2019 में दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वतः याचिका (दांडिक) संख्या 1/2019] के आदेश के पश्चात् आरंभ की गई । केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी हासिल करने के पश्चात् 790 न्यायालयों की स्थापना को लक्षित करते हुए इस स्कीम को 31 मार्च 2026 तक नवीनतम विस्तार के साथ दो बार बढ़ाया गया है । स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय 1952.23 करोड़ रुपये है, जिसमें सीएसएस पैटर्न पर निर्भया फंड से केंद्रीय हिस्से के रूप में 1207.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.12.2024 तक, 406 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 747 एफटीएससी 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं । इन न्यायालयों ने 31.12.2024 तक लगभग 3,00,000 मामलों का निपटारा किया है । संचयी निपटान के साथ कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा उपाबंध 1 पर है ।

स्कीम के प्रारंभ होने पर, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का आबंटन इस मानदंड द्वारा अवधारित किया गया था कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किया जाएगा । इस मानदंड के आधार पर, प्रारंभ में 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) इस स्कीम में भाग लेने के पात्र थे । अरुणाचल प्रदेश ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इससे बाहर रहने का विकल्प चुना, जबकि पुडुचेरी विशेष अनुरोध पर बाद के चरण में इस स्कीम में शामिल हुआ और मई, 2023 में एक विशेष पॉक्सो न्यायालय का संचालन किया । इसके अतिरिक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ने स्कीम में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, लेकिन अभी तक कोई एफटीएससी स्थापित नहीं किया है । परिणामस्वरूप, इस स्कीम में वर्तमान में कुल 32 सहभागी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं । दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था क्योंकि एफटीएससी की स्थापना के लिए लंबित मामलों की कुल संख्या आवश्यक मामलों (65 और उससे अधिक) की संख्या से कम थी । ओडिशा राज्य में, क्योंझर जिले में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों से निपटने वाले एक विशेष पॉक्सो न्यायालय सहित दो कार्यात्मक एफटीएससी हैं । त्रिपुरा राज्य में अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा जिले और उनाकोटी जिले में पोक्सो न्यायालयों सहित 3 एफटीएससी कार्य कर रहे हैं । पश्चिमी बंगाल राज्य में हावड़ा, उत्तर-24 परगना, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, पश्चिम बर्धमान और हुगली जिलों में 6 विशेष पोक्सो न्यायालय कार्य कर रहे हैं ।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) में बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों की निपटान दर नियमित न्यायालयों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक है । जबकि नियमित न्यायालयों में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों की औसत निपटान दर प्रति माह प्रति न्यायालय 3.2 मामलों का अनुमान है, एफटीएससी प्रति माह औसतन 9.5 मामले निपटाते हैं ।

(ग) और (घ) : 16 दिसंबर, 2012 के निर्भया मामले के बाद, सरकार ने निर्भया फंड नामक एक समर्पित निधि की स्थापना की है जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है । यह एक गैर-व्यपगत समग्र निधि है, जिसे आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया निधि के अंतर्गत वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों और स्कीमों के मूल्यांकन/सिफारिश के लिए नोडल मंत्रालय है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह भी जिम्मेदारी है कि वह संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर स्वीकृत स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करे और निगरानी करे ।

एफटीएससी निर्भया फंड के अधीन स्थापित और प्रचालित किए गए हैं । विभाग ने न्यायालयों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्थापना के पश्चात् से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल ₹ 1008.14 करोड़ जारी किए हैं, जिसमें ₹ 200.00 करोड़ के आवंटित बजट के मुकाबले वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में जारी 173.59 करोड़ रुपये शामिल हैं । निधियां सीएसएस पैटर्न (60:40, 90:10) के आधार पर जारी की जाती हैं और इसमें एक न्यायिक अधिकारी, सात सहायक कर्मचारियों का वेतन और दैनिक खर्चों को सम्मिलित करने के लिए फ्लेक्सी अनुदान शामिल होता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाती हैं जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत न्यायालयों की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती हैं । स्कीम के प्रारंभ से अब तक जारी निधियों के केन्द्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध 2** है ।

(ङ) से (छ) : त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना महिला सुरक्षा, यौन और लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने और यौन अपराधों के उत्तरजीवियों के लिए न्याय तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है । संवेदनशील यौन अपराध के मामलों को संभालने में विशेषज्ञता प्राप्त पेशेवर और अनुभवी न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के साथ, ये न्यायालय लगातार और विशेषज्ञ-निर्देशित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं, जो यौन अपराधों के पीड़ितों को आघात और संकट को कम करने में तेजी से समाधान प्रदान करते हैं, और उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं ।

स्कीम के कुशल कार्यान्वयन के लिए, न्याय विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उनके संबंधित उच्च न्यायालयों के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है । प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, विस्तृत जानकारी एकत्र करने और उच्च न्यायालयों के माध्यम से एफटीएससी के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विभाग द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया गया है । त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों से संबंधित सभी डेटा और जानकारी को समय-समय पर विभागों की वेबसाइट पर अद्यतन किया जाता है और एफटीएससी के अस्तित्व और कार्यों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी अपलोड किया जाता है ।

*****

उपाबंध- 1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में 'त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों' के संबंध में तारीख 07.02.2025 को उत्तर के लिए संदर्भित विवरण

विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण (31.12.2024 तक)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	कार्यात्मक न्यायालय		स्कीम के आरंभ के पश्चात् से संचयी निपटान		
		विशेष पॉक्सो सहित एफटीएससी	विशेष पॉक्सो	एफटीएससी	एक्सक्लूसिव पॉक्सो	कुल
1	आंध्र प्रदेश	16	16	0	6221	6221
2	असम	17	17	0	7664	7664
3	बिहार	46	46	0	14495	14495
4	चंडीगढ़	1	0	317	0	317
5	छत्तीसगढ़	15	11	1131	4611	5742
6	दिल्ली	16	11	676	1660	2336
7	गोवा	1	0	61	34	95
8	गुजरात	35	24	2852	11671	14523
9	हरियाणा	16	12	1815	5438	7253
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	531	749	1280
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	112	151	263
12	झारखंड	22	16	2550	5585	8135
13	कर्नाटक	30	17	4721	7729	12450
14	केरल	55	14	15987	7215	23202
15	मध्य प्रदेश	67	57	4432	25333	29765
16	महाराष्ट्र	6	2	8635	11988	20623
17	मणिपुर	2	0	172	0	172
18	मेघालय	5	5	0	647	647
19	मिजोरम	3	1	176	66	242
20	नागालैंड	1	0	65	3	68
21	ओडिशा	44	23	6237	11470	17707
22	पुडुचेरी*	1	1	0	122	122
23	पंजाब	12	3	2424	2268	4692
24	राजस्थान	45	30	5251	12040	17291
25	तमिलनाडु	14	14	0	8898	8898
26	तेलंगाना	36	0	7567	2731	10298
27	त्रिपुरा	3	1	230	208	438
28	उत्तराखंड	4	0	1792	0	1792
29	उत्तर प्रदेश	218	74	40257	42404	82661
30	पश्चिमी बंगाल	6	6	0	232	232
31	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**	0	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0	0	0	0
	कुल	**747**	**406**	**107991**	**191633**	**299624**

टिप्पण : स्कीम के आरंभ में, देश भर में एफटीएससी का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससी की स्थापना की जाएगी। इसके आधार पर केवल 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ही इस स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

* **पुडुचेरी ने विशेष रूप से स्कीम में शामिल होने का अनुरोध किया और तब से मई 2023 में एक विशेष पॉक्सो न्यायालय का संचालन किया है।**

**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने की सहमति दे दी है, लेकिन अभी किसी न्यायालय को प्रचालित किया जाना है।

***अरुणाचल प्रदेश ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है।

उपाबंध- 2

'त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों' के संबंध में तारीख 07.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण त्वरित निपटान विशेष न्यायालय स्कीम के अधीन जारी निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल केंद्रीय हिस्सा (03.02.2025 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक जारी की गई कुल निधियां (केंद्रीय हिस्सा)
1	आंध्र प्रदेश	1.8
2	असम	26.65787
3	बिहार	70.665365
4	चंडीगढ़	0.1875
5	छत्तीसगढ़	21.8951
6	दिल्ली	13.2669
7	गोवा	1.16129
8	गुजरात	41.2409
9	हरियाणा	22.44234
10	हिमाचल प्रदेश	9.07991
11	जम्मू-कश्मीर	8.57994
12	झारखंड	20.49482
13	कर्नाटक	36.10824
14	केरल	54.78451
15	मध्य प्रदेश	105.96558
16	महाराष्ट्र	47.59724
17	मणिपुर	3.86372
18	मेघालय	7.14255
19	मिजोरम	7.31808
20	नागालैंड	1.75811
21	ओडिशा	54.9262
22	पुडुचेरी*	0.555405
23	पंजाब	13.93488
24	राजस्थान	84.14015
25	तमिलनाडु	25.465555
26	तेलंगाना	29.13895
27	त्रिपुरा	5.28433
28	उत्तराखंड	9.10444
29	उत्तर प्रदेश	281.40032
30	पश्चिमी बंगाल	1.816695
31	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**	--
32	अरुणाचल प्रदेश***	--
	कुल	**1008.14477**

टिप्पण : स्कीम के आरंभ में, देश भर में एफटीएससी का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससी की स्थापना की जाएगी। इसके आधार पर केवल 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ही इस स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

* **पुडुचेरी ने विशेष रूप से स्कीम में शामिल होने का अनुरोध किया और तब से मई 2023 में एक विशेष पॉक्सो न्यायालय का संचालन किया है।**

**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने की सहमति दे दी है, लेकिन अभी किसी न्यायालय को प्रचालित किया जाना है।

***अरुणाचल प्रदेश ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है।

****